सं० ओ०वि०/एफ०डी०/280-85/51044.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरियाणा फिल्टर मैन्यू० कम्पनी लि०, अमर नगर, एन. एस. सूरी मार्ग, 20/4 कि.मि. मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सुभाष चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सुभाष चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ०वि०/एफ०डी०/269-85/51050.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बी० सैन० एण्ड कम्पनी, 13/3, माईल स्टोन मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम दरश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त तथा उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राम दरश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./135-85/51062.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एसोसियेटेड स्ट्रीप्स प्रा० लि०, प्लाट नं० 81, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्रीनिवास सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री निवास सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे. पी. रतन,

उप-सचिव

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

Declaration

The 8th January, 1986

No. 72/1/L.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed urgently by the Government, at public expense, for a public purpose, i. e., for land to be acquired for Haryana Irrigation Research Station on Kurukshetra, Pehowa Road in village Mirzapur and Raogarh, Tehsil Thanesar, District Kurukshetra for which a notification has been issued under section 4 ,—*vide* Haryana Government, Irrigation and Power Department natification No. 1014/1-L dated 27th June, 1985 and published in *Haryana Government Gazette, Extraordinary* dated 29th June, 1985.

It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, for information to all whom it may concern.

And whereas the Governor of Haryana is further of the opinion that the purpose, for which the land is required is of an urgent importance within the meaning of clause (c) of sub-section (2) of section 17 of the said Act.

Therefore it is hereby directed under sub-section (4) of Section 17 of the said act, that the provision of section 5A of the said Act, shall not apply in regard to this acquisition.

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Irrigation Department, Ambala and Deputy Director, Canal Regulation and Control Circle, Kurukshetra.

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Village	Area in Acres / Hectares	H.B. No.	Locality
					A plot of land measuring 32·675 Acres (13.23 Hectares) falling on right side of Kurukshetra-Pehowa Road adjacent to existing stores at Kilometer 7 in villages, Mirzapur and Raogarh, Tehsil Thanesar, District Kurukshetra as shown on the index plan and as demarcated at site comprising of field numbers as shown below:—
					Rectangle number. / Field number
Kurukshtra	Thanesar	Mirzapur	12.175 Acres / 4·93 Hectares	384	13 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 and 25 14 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20 and 21

213-Part

District	Tehsil	Village	Area in Acres	H. B. No.	Locality	
					Rectangle number	Field Number
Kurukshetra	Thanesar	Raogarh	20·500 Acres 8·30 Hectares	427	1	6/1, 6/2, 6/3, 7, 8/2, 13/2/1, 13/2/2, 14, 15, 16/1, 16/2, 25 and 26
					2	9, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25 and 26.
					—	10-Part
					4	5

By order of the Governor of Haryana
K. L. VERMA,
Director,
Canal Regulation and Control Circle,
Canal Colony, Kurukshetra.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDING AND ROADS BRANCH

HISSAR CIRCLE

The 30th December, 1985

No. 28HA/63-F/1688.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expense, for public purpose, namely, constg. a link road from Daroli to Chuli Kalan, tehsil Hissar, district Hissar, it is hereby declared that the land, described in the specification below, is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. B. & R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. B. & R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar or Executive Engineer, Provl. Divn., Fatehabad.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/village Hadbast No.	Area in acres	Rectangle Khasra No.
Hissar	Hissar	Daroli 32	RD 0 to 5445 $\frac{5445 \times 40}{9 \times 4840}$ = 5·00	153, 154, 156, 157, 158, 375, 55 to 66, 22 to 37, 72/25
				73 6/2, 7, 13/1, 13/2, 14, 15, 16/2, 17, 18,
				73 19, 20, 21, 22, 23
				74 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11

District	Tehsil	Locality/village Hadbast No.	Area in acres	Rectangle Khasra No.
Hissar	Hissar	Daroli / 32,—concld		75 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 76 1, 10, 92 1, 93 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 93 19, 20, 21 94 16, 17, 24, 25, 95 4, 5,
Hissar	Hissar	Chuli Kalan / 7	RD 5445 to 12366 $\frac{6921 \times 40}{9 \times 4840}$ = 6·21	160, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 174, 175, 166, 166/2, 568/1, 576, 580/1 38 22, 23, 39 1, 2, 3/1, 3/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11 40 6, 7, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17/1, 40 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 41 16, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 52 23, 24, 25/1, 25/2, 53 6, 7, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 19/1 53 19/2, 20, 21 53 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 8, 9, 10/1, 10/2 62 1, 2, 3/1, 3/2/2, 3/2/1, 4, 8/2, 9, 10/1 62 10/2, 11/1, 63 6, 7, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 19/1, 63 20, 21, 22, 64 16, 25/1, 25/2
		Total :	11·21 Acres	

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Hissar Circle.